State Government Order Regarding Reservation

क्रम संख्या–242

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एल डब्लू/एन.पी. 890
लाइसेन्स नं0 डब्लू पी0 – 41
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

,विधायी परिशिष्ट
भाग 1 खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)
लखनऊ,शनिवार, 31 अगस्त, 2002
भाद्रपद 09, 1924 शंक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग–1
संख्या 1576/सत्रह–वि–1–1(क)–11–2002
लखनऊ, 31 अगस्त, 2002

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2002 पर दिनांक 29 अगस्त, 2002 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2002 के रूप में 'सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2002)
(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1– (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन)अधिनियम, 2002 कहा जायेगा

(2) धारा 2, धारा 3, के खण्ड (क) द्वारा यथा प्रतिस्थापित मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) द्वितीय परन्तुक को छोड़कर धारा 3 के खण्ड (ख) का उपखण्ड (एक) धारा 4, धारा 5 और धारा 6, 15 सितम्बर 2001 को प्रवृत्त हुए समझे जायेगें धारा 3 के खण्ड (क) के शेष उपबन्ध, खण्ड (ख) का उपखण्ड (दो) और खण्ड (ग) 25 जून 2002 को प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994 की धारा 2 का संशोधन

2– उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है।

(क) धारा–2 में खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा अर्थात:–

'(ख) 'नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों' का तात्पर्य अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गो से है''.

(ख) खण्ड (ख–1), (ख–2), (ख–3) निकाल दिये जायेंगे।

धारा 3 का संशोधन

3– मूल अधिनियम की धारा 3 में–

(क) उपधारा (1), (2), (3), के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जाएंगी, अर्थात:–

"(1) लोक सेवाओं और पदों में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो से सम्बन्धित व्यक्तियों के पक्ष में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, उपधारा (5) में निर्दिष्ट रोस्टर के अनुसार रिक्तियों का, जिन पर भर्ती की जानी है, निम्नलिखित प्रतिशत आरक्षित किया जायेगा:–

(क) अनुसूचित जातियों के मामले में – इक्कीस प्रतिशत

(ख) अनुसूचित जनजातियों के मामले में – दो प्रतिशत

(ग) नागरिकों के अन्य पिछडे वर्गो के मामले में – सत्ताइस प्रतिशत

परन्तु खण्ड (ग) के अधीन आरक्षण अनुसूची–दो में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो की श्रेणी पर लागू नहीं होगा:

परन्तु यह और कि व्यक्तियों की सभी श्रेणियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण किसी भर्ती का वर्ष में, उस वर्ष की कुल रिक्तियों के पाचस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और साथ ही उस सेवा के संवर्ग की, जिसके लिए भर्ती की जानी है, सदस्य संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक नही होगा:

(2) यदि किसी भर्ती का वर्ष के सम्बन्ध के उपधारा (1) के अधीन व्यक्तियों की किसी श्रेणी के लिए आरक्षित कोई रिक्त बिना भरे

आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
कुमारगंज, अयोध्या–224229 (उ०प्र०), भारत
Acharya Narendra Deva University of Agriculture and Technology,
Kumarganj, Ayodhya-224229 (U.P.), India
Website: www.nduat.org, Phone: 05270-262035

आज़ादी का अमृत महोत्सव

English translation of the relevant portion of reservation government order	
Amendment of Section 3	3- Section 3 of the Original Act – (A) Following sub-sections will replace sub-sections (1), (2) and (3), means: - "1- On posts and in public services, direct recruitment of individuals belonging to scheduled caste, scheduled tribes and other backward castes, according to the roster for vacancies mentioned in the sub-section 5, following percentage reservation will be applicable: (a) Scheduled caste – 21% (b) Scheduled tribes – 2% (c) Other backward castes – 27%

Registrar

REGISTRAR
A.N.D.U.A.T.
Kumarganj, Ayodhya

क्रम-संख्या–142

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल० डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

English version of GO will start from page No 6

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 31 अगस्त, 2020

भाद्रपद 9, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1577 / 79-वि-1–20-1(क)-4-20

लखनऊ, 31 अगस्त, 2020

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2020 जिससे कार्मिक अनुभाग–2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 28 अगस्त, 2020 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2020 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2020)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

राज्य में लागू विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के पक्ष में लोक सेवाओं और पदों पर आरक्षण और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1– (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 1 फरवरी, 2019 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In accordance with the provisions of the Constitution (One Hundred and Third Amendment) Act, 2019 and with reference of Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions Department of Personnel and Training *vide* O.M. No. 36039/1/2019-Estt. (Res.), dated 19th January, 2019, has been made provision of 10 per cent reservation to Economically Weaker Sections (EWSs) in civil posts and services in the Government of India.

It has therefore been decided to make a law to provide 10 per cent reservation in Public Services and Posts in favour of persons belonging to the Economically Weaker Sections (EWSs) of citizens in addition to the existing scheme of reservations for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Socially and Educationally Backward Classes in the State and for matters connected therewith or incidental thereto.

The Uttar Pradesh Public Services Reservation for Economically Weaker Sections Bill, 2020 is introduced accordingly.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 195 राजपत्र–2020–(572)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 153 सा0 विधायी–2020–(573)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

195 RPH 2020 (Adhiniyam)-data- 4e

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या-5/2019/4/1/2002/का-2/2019टी.सी.1

लखनऊ, दिनांक : 13 अगस्त, **2019**

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-4/1/2001-कार्मिक-2, दिनांक 25.06.2002 के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के चिन्हांक्ति आरक्षण की व्यवस्था को लागू किये जाने हेतु 100 बिन्दुओं का रोस्टर निर्गत किया गया है। कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/4/1/2002/का-2/2019टी.सी.2, दिनांक 18.02.2019 द्वारा राज्य सरकार की सरकारी सेवाओं की सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर नियुक्ति के लिये तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर सभी सरकारी व निजी शैक्षणिक संस्थाओं (अनुदानित एवं गैर अनुदानित) में प्रवेश के लिये आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किये जाने हेतु आदेश निर्गत किये गये है।

2- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण आदेश निर्गत होने के उपरान्त प्रदेश में लागू रोस्टर प्रणाली में आयी कठिनाईयों के दृष्टिगत 100 बिन्दुओं का निर्गत रोस्टर व्यवस्था में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित 10 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था के आधार पर रोस्टर प्रणाली में संशोधन किया जाना अपरिहार्य हो गया है। अत: रोस्टर व्यवस्था के संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-4/1/2001-कार्मिक-2, दिनांक 25.06.2002 को कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 18.02.2019 के अनुक्रम में संशोधित करते हुए आरक्षण को लागू करने के लिए एतद्द्वारा निम्नवत् रोस्टर प्रणाली जारी किया जाता है:-

1- अनुसूचित जाति
2- अनारक्षित
3- अन्य पिछड़ा वर्ग
4- अनारक्षित
5- अनुसूचित जाति
6- अनारक्षित
7- अन्य पिछड़ा वर्ग
8- अनारक्षित
9- अन्य पिछड़ा वर्ग
10- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

http://shasanadesh.up.gov.in

11- अनुसूचित जाति

12- अनारक्षित

13- अन्य पिछड़ा वर्ग

14- अनारक्षित

15- अनुसूचित जाति

16- अनारक्षित

17- अन्य पिछड़ा वर्ग

18- अनारक्षित

19- अन्य पिछड़ा वर्ग

20- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

21- अनुसूचित जाति

22- अनारक्षित

23- अन्य पिछड़ा वर्ग

24- अनारक्षित

25- अनुसूचित जाति

26- अनारक्षित

27- अन्य पिछड़ा वर्ग

28- अनारक्षित

29- अन्य पिछड़ा वर्ग

30- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

31- अनुसूचित जाति

32- अनारक्षित

33- अन्य पिछड़ा वर्ग

34- अनारक्षित

35- अनुसूचित जाति

36- अनारक्षित

37- अन्य पिछड़ा वर्ग

38- अनारक्षित

39- अन्य पिछड़ा वर्ग

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

40- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

41- अनुसूचित जाति

42- अनारक्षित

43- अन्य पिछड़ा वर्ग

44- अनारक्षित

45- अनुसूचित जाति

46- अनारक्षित

47- अनुसूचित जनजाति

48- अनारक्षित

49- अनुसूचित जाति

50- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

51- अन्य पिछड़ा वर्ग

52- अनारक्षित

53- अनुसूचित जाति

54- अनारक्षित

55- अन्य पिछड़ा वर्ग

56- अनारक्षित

57- अन्य पिछड़ा वर्ग

58- अनारक्षित

59- अनुसूचित जाति

60- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

61- अन्य पिछड़ा वर्ग

62- अनारक्षित

63- अनुसूचित जाति

64- अनारक्षित

65- अन्य पिछड़ा वर्ग

66- अनारक्षित

67- अन्य पिछड़ा वर्ग

68- अनारक्षित

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

69- अनुसूचित जाति

70- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

71- अन्य पिछड़ा वर्ग

72- अनारक्षित

73- अनुसूचित जाति

74- अनारक्षित

75- अन्य पिछड़ा वर्ग

76- अनारक्षित

77- अन्य पिछड़ा वर्ग

78- अनारक्षित

79- अनुसूचित जाति

80- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

81- अन्य पिछड़ा वर्ग

82- अनारक्षित

83- अनुसूचित जाति

84- अनारक्षित

85- अन्य पिछड़ा वर्ग

86- अनारक्षित

87- अन्य पिछड़ा वर्ग

88- अनारक्षित

89- अनुसूचित जाति

90- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

91- अन्य पिछड़ा वर्ग

92- अनारक्षित

93- अनुसूचित जाति

94- अनारक्षित

95- अन्य पिछड़ा वर्ग

96- अनारक्षित

97- अनुसूचित जनजाति

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

98- अनारक्षित

99- अनुसूचित जाति

100- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-5/2019(1)/4/1/2002/का-2/2019टी.सी.1, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2) प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।
3) समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4) समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5) सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
6) सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
7) सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
8) निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
9) निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ को 200 प्रतियॉ मुद्रित कराकर कार्मिक अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने हेतु ।
10) वेब अधिकारी/ वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
11) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

अरविन्द मोहन चित्रांशी
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।